जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 132 प्रभात बीकानेर, मंगलवार 3 दिसम्बर, 2024 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

साउथ इण्डिया से मांग उठी, अब संसद की कुछ बैठक दक्षिण भारत में भी हों

वाय.एस.आर. कांग्रेस के तिरुपति से सांसद ने संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजीजू को पत्र लिखर कर यह मांग की

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। अब दक्षिण भारत से मांग उठ रही है कि दक्षिण भारत में संसद की मीटिंग करवाई जाए जैसे कर्नाटक विधानसभा की बैठक बेलागावी में भी होती है।

दक्षिण भारत से संसदीय बैठकों का विकेन्द्रीकरण करने की बात की जा रही है।

इस तरह के विचार का समर्थन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने भी किया था।

वाय.एस.आर.सी.पी. के तिरुपति के सांसद एम. गुरुमूर्ति ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू को इस बारे में पत्र लिखा है, जिसका समर्थन तमिलनाडु के सांसद कार्ति चिदम्बरम व अन्य सांसदों ने भी किया।

तिरुपति सांसद ने इस मांग के पीछे तर्क और एतिहासिक परिप्रेक्ष्य पेश किया और कहा कि ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा और दिल्ली के खराब मौसम से सांसदों को आवागमन से राहत मिलेगी और काम बेहतर ढंग से हो सकेगा। एतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि अम्बेडकर और वाजपेयी जी ने संसद के सत्रों के विकेन्द्रीकरण की बात की थी जिसमें एकता व सबको साथ लेकर चलने की भावना को बल मिलेगा तथा संसद सभी क्षेत्र के लोगों के करीब लाया जा सकेगा।

- तमिलनाडु से निर्वाचित सांसद कार्ति चिदम्बरम सहित कई दक्षिण भारत के सांसदों ने इस मांग का समर्थन किया।
- इन सांसदों के अनुसार, अम्बेडकर व वाजपेयी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। वाजपेयी का कहना था, यह प्रशासनिक कदम देश में एकता का भाव और मजबूत करेगा, तथा संसद को जनता के नज़दीक लायेगा।
- इस मांग के समर्थक सांसदों का यह भी कहना था, इस कदम से सभी सांसदों को दिल्ली की भीषण सर्दी के मौसम से राहत मिलेगी और कार्यकुशलता बढ़ेगी।
- एतिहासिक दृष्टि से यह सच है कि, 1988 में भी ऐसा एक प्रस्ताव प्राइवेट मैम्बर बिल के मार्फत लोकसभा में उठाया गया था, पर अन्य प्राइवेट मेम्बर्स बिल की भांति, यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया था। पर, अब शायद इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेने का समय आ गया है, तथा इससे यह मैसेज जायेगा कि संसद वाकई में पूरे देश की राष्ट्रीय संस्था है।

अपने पत्र में केन्द्रीय मंत्री एम. गुरुमूर्ति ने हर साल संसद की दो बैठके दक्षिण भारत में करवाने का सुझाव दिया और उम्मीद जताई कि सरकार इस सार्थक सुझाव पर सकारात्मक तरीके से विचार करेगी।

इसी तरह का विचार 1968 में एक सदस्य ने निजी बिल के मार्फत पेश किया था पर विधेयक पारित नहीं हो सका, पर अब समय आ गया है कि ऐसा कदम उठाया जाए अगर संसद की बैठकों का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए तो जनता को लगेगा कि संसद उनके ज्यादा करीब आ गई हैं।

इससे यह साबित करने में भी मदद मिलेगी कि संसद राष्ट्रीय निकाय है और सिर्फ नई दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है।

'पूर्व सी.जे.आई. ने पूजा स्थल सम्बंधी विवादों को जन्म दिया'

नई दिल्ली, 02 दिसंबर। कांग्रेस ने सोमवार को उपासना स्थल अधिनियम- 1991 को पूरी तरह से लागू करने की मांग उठाई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अफसोस की बात है कि 20 मई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने कुछ मौखिक "ऑब्जर्वेशन्स" दी थी, जिसने मंदिर-मस्जिद वाली याचिकाओं का रास्ता साफ किया है। भाजपा उसका भरपूर राजनीतिक फायदा उठा रही है।

- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा 20 मई 2022 को पूर्व सी.जे.आई. चंद्रचूड ने जो मौखिक टिप्पणी की थी उसके बाद से ही मस्जिदों व दरगाहों पर दावेदारी जताने की याचिकाओं की बाढ़ आ गई है।

हर जगह साम्प्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मगर 1991 में बने कानून को लागू करना अनिवार्य है। जयराम रमेश ने कहा कि हाल ही में सामने आए विभिन्न विवाद जैसे कि संभल में एक मस्जिद और अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दावा करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अडानी की मुश्किलें संसद तक ही सीमित नहीं

बांग्लादेश ने भी अडानी पावर कम्पनी से अपनी बिजली की खरीद आधी की

-श्रीनन्द झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। जहाँ गौतम अडानी विवाद के कारण संसद में गतिरोध बना हुआ है, वहीं, इस दिग्गज व्यवसायी को पड़ोसी बाँग्लादेश में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बाँग्लादेश ने "अडानी पावर" से की जाने वाली बिजली की माँग आधी कम कर दी है।

यह तनातनी पिछले महीने उस समय शुरू हुई, जब "अडानी पावर" ने भुगतान में विलम्ब होने के कारण, बाँग्लादेश को होने वाली सप्लाई घटाकर आधी कर दी थी।

बताया जाता है कि इसके बाद, बाँग्लादेश ने अडानी से कह दिया कि वे अब केवल आधी सप्लाई ही करें।

अडानी ग्रुप, 25 साल के अनुबन्ध के तहत, बाँग्लादेश को पावर-सप्लाई कर रहा है। यह अनुबन्ध 2017 में हुआ था, जब बाँग्लादेश में शेख हसीना प्रधानमंत्री थीं। पावर-सप्लाई "अडानी पावर" द्वारा झारखंड में स्थापित की गई दो इकाइयों से की जा रही थी। इनमें से प्रत्येक की क्षमता करीब 800 मेगावॉट थी। रिपोर्टों के अनुसार, यह प्लांट नवम्बर में केवल 41 प्रतिशत क्षमता के साथ चला। पिछली सर्दियों तक, बाँग्लादेश करीब 1000 मेगावॉट बिजली प्रतिमाह खरीद रहा था। "अडानी पावर" के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह फर्म बाँग्लादेश को बिजली की सप्लाई करती आ रही है, हालाँकि बढ़ाता जा रहा उधार एक बड़ी चिन्ता का विषय है। इसके कारण प्लान्ट का

- अडानी पावर कम्पनी, अपने झारखण्ड स्थित पावर प्लान्ट की दो इकाइयों से, जिनकी पावर जनरैशन की क्षमता 16 सौ मेगावाट थी, से बांग्लादेश को नियमित बिजली सप्लाई कर रही थी, अब नवम्बर यह प्लान्ट 41 प्रतिशत क्षमता पर ही काम कर रहे हैं। क्योंकि, बांग्लादेश ने अडानी से बिजली खरीद आधी कर दी है।
- झगड़ा शुरू हुआ गत माह से, जब अडानी की कम्पनी ने बांग्लादेश को दी जा रही सप्लाई को आधा कर दिया था, भुगतान देरी से मिलने का बहाना करके। जवाबी कार्यवाही में बांग्लादेश ने अडानी की कम्पनी को पत्र लिख कर कहा, "अब आप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई आगे के लिए आधी ही कर दें।"
- अपुष्ट खबरों के अनुसार बांग्लादेश चाहता है कि अडानी अपनी बिजली सप्लाई की दर में भारी कमी करे, क्योंकि, भारत की अन्य पावर सप्लाई कम्पनियां लगभग औसतन 9.57 टका प्रति यूनिट की दर से बिजली सप्लाई कर रही हैं, जबकि, अडानी पावर कम्पनी 14.87 टन प्रति यूनिट की दर से बांग्लादेश को बिजली बेच रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार ने संविधान पर चर्चा की विपक्ष की मांग मानी

संभावना है कि मंगलवार से संसद के दोनों सदनों में सुचारू रूप से काम होगा

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। संसद के दोनों सदनों का काम-काज मंगलवार से शुरू हो सकता है क्योंकि मोदी सरकार ने कांग्रेस की इस माँग को स्वीकार कर लिया है कि संविधान पर दो दिन की विशेष चर्चा हो।

राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रकार की चर्चा कराने के लिये सदन के सभापति को पत्र लिखा था। इसी प्रकार का एक पत्र 26 नवम्बर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लिखा था।

संविधान पर चर्चा लोकसभा में 13 तथा 14 दिसम्बर को तथा राज्य सभा में 16 एवं 17 दिसम्बर को होगी।

सरकार, संसद के निरन्तर गतिरोध के समाधान की खातिर, संविधान पर बहस कराने की विपक्ष की माँग पर सहमत हो गई है। ज्ञातव्य है कि शीतकालीन सत्र की शुरूआत, अर्थात 25 नवम्बर से ही संसद ठप्प पड़ी है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के कार्यालय में सदन के सभी नेताओं की मीटिंग हुई तथा यह तय हुआ कि मंगलवार से सदन की कार्यवाही निर्विघ्न रूप से शुरू हो जायेगी तथा उस दिन सदन में पहला विधेयक पेश एवं पारित हो जायेगा।

इस घटना क्रम पर बयान देते हुये, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा "ऐसी आशा है कि मोदी सरकार दोनों सदनों में कल (मंगलवार) से काम होने देगी।"

शीतकालीन सत्र के आरम्भ से ही, दोनों सदनों में कोई काम-काज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विपक्ष आसनों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- लोकसभा में 13 और 14 दिसम्बर को तथा राज्यसभा में 16 व 17 दिसम्बर को संविधान पर चर्चा होगी।
- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बारे में स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी थी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजा ता।
- शुरू में सरकार ने संविधान पर चर्चा कराने से इन्कार कर दिया था, इस वजह से 25 नवम्बर से शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद संसद में एक दिन भी काम नहीं हुआ।

सन् 2000 के मालपुरा दंगों में आठ को आजीवन कारावास

जयपुर, 2 दिसंबर। सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 24 साल पहले टोंक के मालपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान, हत्या करने वाले अभियुक्तों इस्लाम, मोहम्मद इशाक, अब्दुल रज्जाक, इरशाद, मोहम्मद जफर, साजिद अली, बिलाल अहमद और मोहम्मद हबीब को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही, अदालत की पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने धारदार हथियारों से निर्ममतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने धारदार हथियारों से इस निर्ममता पूर्ण घटना को अंजाम दिया। ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

आज होगी महाराष्ट्र के भाजपा विधायक दल की बैठक

पहले यह बैठक सोमवार 2 दिसम्बर को होने वाली थी

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। महाराष्ट्र में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग, जो 2 दिसम्बर को होनी थी, 3 दिसम्बर तक के लिये टाल दी गई है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री विजय रूपानी को महाराष्ट्र भाजपा के विधायक दल के नेता के चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया है।

रूपानी ने कहा कि दोनों पर्यवेक्षक जाकर, प्रत्येक विधायक से मिलेंगे तथा सम्बन्धित जानकारी पार्टी हाईकमान को देंगे। इसके बाद, हाईकमान के निर्देशानुसार, पार्टी नेता की घोषणा कर दी जायेगी।

इस बीच, शिव सेना नेता संजय शिरसत ने कहा है कि उनके नेता तथा निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे महायुति सरकार के गठन में बाधा नहीं हैं तथा पार्टी की भी कोई माँग नहीं है।

शिन्दे के नज़दीकी साथी शिरसत ने कहा, "सब कुछ इतनी स्पष्टता के साथ कह देने के बाद, मेरे खयाल से उन (शिन्दे) पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। वरिष्ठ नेता जो कुछ भी कहेंगे, वह हमें स्वीकार होगा। महायुति में कोई मतभेद नहीं है।..मेरे खयाल से, नेताओं एकनाथ शिन्दे, देवेन्द्र फड़नवीस तथा अजित पवार की विभागों के सम्बन्ध में मीटिंग होगी तथा सारी उलझनें दूर हो जायेंगी।"

"एक्स" पर की गई एक पोस्ट में, एकनाथ शिन्दे के पुत्र ने इन अफवाहों का खंडन किया है कि वे नई महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं।

अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, "मुझे सत्ता में पद पाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूँ कि मैं राज्य मंत्रिमण्डल के किसी पद की दौड़ में नहीं हूँ।"

अस्वस्थ होने के कारण, थोडे से समय के लिये अपने गृहनगर में ठहरने के बाद, एकनाथ शिन्दे ने कहा कि महायुति के सभी मित्र एक-दूसरे के साथ हैं तथा नये मुख्यमंत्री की घोषणा जल्दी ही हो जायेगी।

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार का पिछले ढाई साल का काम इतिहास में याद किया जायेगा। यही कारण है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया तथा विपक्ष को नकार दिया, यहाँ तक कि उसे विपक्ष का नेता चुनने का अवसर भी नहीं दिया। महायुति के तीनों दलों के बीच अच्छी समझ-बूझ है।"

लेकिन उनकी पार्टी के विधायकों ने सोमवार को एक बार पुनः यह माँग की कि शिन्दे के नेतृत्व में राज्य में हुये विकास-कार्यों के आधार पर, उन्हें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को पर्यवेक्षक बनाया गया है, वे सभी विधायकों से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे।
- शिवसेना और एकनाथ शिंदे के करीबी संजय शिरसाट ने साफ कर दिया कि एकनाथ शिंदे सरकार गठन में बाधा नहीं है और उनकी पार्टी की कोई मांग नहीं है।
- असल में शिंदे व उनकी पार्टी को लेकर भारी अटकलें लगाई जा रही हैं पर शिंदे ने अपने गांव से लौटने के बाद स्पष्ट कर दिया कि महायुति पूरी तरह से एक जुट है।
- इधर शिंदे के पुत्र को लेकर भी कई अटकलें चल रही हैं, जिनका उन्होंने खंडन किया और कहा कि वे किसी भी पद की दौड़ में नहीं हैं।

सरकारी कर्मचारी को एक पद पर रहने का अधिकार नहीं

जयपुर, 2 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी को एक ही जगह पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होता है। सक्षम अधिकारी नियमों की बिना अवहेलना किए उसका दूसरी जगह तबादला कर सकता है। इसके अलावा, अदालत को प्रशासनिक और जनहित में किए गए तबादला आदेश पर दखल नहीं देना चाहिए, जब तक कि उसमें नियमों की अवहेलना नहीं हुई हो। अदालत ने कहा कि यदि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हाईकोर्ट ने कहा, जब तक नियमों की अवहेलना नहीं हो अदालत को तबादला आदेशों में दखल नहीं देना चाहिए।

पहली बार बांग्लादेश के कूटनीतिक संस्थानों पर तोड़फोड़ हुई

शेख हसीना के पलायन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार जारी हिंसा पर अब भारत में उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया होने लगी है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। बांग्लादेश में हिंदुओं व हिंदुओं के संस्थापनों पर लगातार हो रहे हमलों के निशान भारत के पूर्वी भाग व पूर्वोतर भाग की राजनीति पर भी दिखने लगे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के बांग्लादेश कॉउन्सलर ऑफिस पर हमला होना तथा पश्चिम बंगाल के कुछ राजनैतिक घटनाक्रम बांग्लादेश की हिंसा का प्रत्यक्ष परिणाम हैं।

यह एक संकेत है कि भारत और बांग्लादेश के सम्बंधों में भारी बदलाव आ गया है और अगरतला में बांग्लादेश के कार्यालयों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की।

अगरतला में एक बड़ी भीड़ ने बांग्लादेशी कान्सुलेट पर हमला कर दिया। विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस विरोध प्रदर्शन की निंदा की और जब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ा है, वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है, इस पर भारत में भारी गुस्सा है तथा उसी की वजह से यह अगरतला वाली घटना हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ साम्प्रदायिक हिंसा हो रही है।

अभी तक हिंसा बांग्लादेश में ही हो रही थी, भारत में इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देखी गई, खासकर पश्चिम बंगाल में।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी अंतरिम सरकार से कहा कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेवारी है, पर प.बंगाल में सब कुछ सामान्य था।

पर इस बार त्रिपुरा का रुख अलग था। अगरतला से चलने वाली एक बस पर बांग्लादेश में हमला हुआ और इस घटना की जानकारी मिलने के साथ ही त्रिपुरा में उत्तेजक प्रतिक्रिया हो रही है।

इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत हल्की टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमलों को अनावश्यक रुप से उछाला जा रहा है। ममता बनर्जी के इस रुख का लक्ष्य सिर्फ अपने वोट बैंक (पश्चिम बंगाल के मुस्लिम) को संतुष्ट रखना है।

उस समय बड़ी अटपटी स्थिति हो गई, जब पश्चिम बंगाल के एक इस्लामिक राजनैतिक दल ने विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेशी काउन्सलर ऑफिस पर गुस्साई भीड़ ने हमला किया और भारी तोड़-फोड़ की।
- अगरतला की एक बस पर बांग्लादेश में हुए हमले की खबर ने लोगों में भारी नाराज़गी पैदा कर दी।
- जहां जनता की उत्तेजना बढ़ रही है, वहीं प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया बेहद अटपटी है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, स्पष्ट है ममता बनर्जी ने बयान अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दिया था।
- इसके विपरीत प. बंगाल की एक इस्लामिक पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
- बांग्लादेश में जब तक अवामी लीग का राज था तब तक कट्टरपंथियों पर अंकुश था पर अब कट्टरपंथी मनमानी कर रहे हैं और अंतरिम सरकार कुछ नहीं कर रही है।

अनूप बरतरिया का गिरफ्तारी वारन्ट जमानती में बदलने से इंकार

जयपुर, 2 दिसंबर। चेक अनादरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-8 महानगर प्रथम ने लोन के पेटे जमा कराए गए करीब 2.59 करोड़ रुपए राशि के चेक बाउंस होने के मामले में डब्ल्यू.टी.पी. के प्रबंध निदेशक अनूप बरतरिया, रुचि बरतरिया, विरेन्द्र बरतरिया और सरोजनी बरतरिया के गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अदालत ने कहा कि अदालती आदेश की जानकारी होने के बाद भी चारों आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी वारन्ट जमानती में नहीं बदला जा सकता।